# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —89 / 2020(2020 / 00114)

अनवान : —

1. रोहताशकुमार पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. पुष्करदत्त पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र पीथाराम जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. राजाराम पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. एसबीआई जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक**
**अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादीगण**
श्री धर्मपाल बेरवाल **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** दिनांक : 03/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 82 / 79 के मु0न0 24 किला न0 24, 25 की 0.506 है0 नहरी व चक 5 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 150 / 140 के मु0 न0 44 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मु0 न0 51 के किला न0 3, 8 कुल 1.771 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा पीथा की खातेदारी हुआ करती थी। पीथा के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी हरचन्द ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हरचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरचन्द के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द को वादीगण के दादा पीथा से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2029—38 चक 3 एसडीआर के खाता संख्या 21 एवं चक 5 एसडीआर

जमाबन्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 38 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अपना हक व हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है। राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पास अन्य सम्पति होना जाहिर किया है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 3 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 82/79 के मु0न0 24 किला न0 24, 25 की 0.506 है0 नहरी व चक 5 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 150/140 के मु0 न0 44 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मु0 न0 51 के किला न0 3, 8 कुल 1.771 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादीगण हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रोहताशकुमार पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 3 एसडीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 82/79 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 5 एसडीआर सम्वत 2072–75 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 3 एसडीआर सम्वत 2029–38 खाता संख्या 21 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 5 एसडीआर सम्वत 2029–38 खाता संख्या 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद भूमि मौजा 3 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 82/79 के मु0न0 24 किला न0 24, 25 की 0.506 है0 नहरी व चक 5 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 150/140 के मु0 न0 44 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मु0 न0 51 के किला न0 3, 8 कुल 1.771 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी 2 बहिस्सा बराबर के

खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 82/79 के मु0न0 24 किला न0 24, 25 की 0.506 है0 नहरी व चक 5 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 150/140 के मु0 न0 44 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मु0 न0 51 के किला न0 3, 8 कुल 1.771 है0 नहरी मय प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 रोहताशकुमार, वादी संख्या 2 पुष्करदत्त एवं प्रतिवादी सं 2 राजाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
RAS

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 89 / 2020(2020 / 00114)

अनवान : —

1. रोहताशकुमार पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. पुष्करदत्त पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र पीथाराम जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. राजाराम पुत्र हरचन्द जाति मेघवंशी निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. एसबीआई जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानीबड़ी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 82 / 79 के मु0न0 24 किला न0 24, 25 की 0.506 है0 नहरी व चक 5 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 150 / 140 के मु0 न0 44 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मु0 न0 51 के किला न0 3, 8 कुल 1.771 है0 नहरी प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 रोहताशकुमार, वादी संख्या 2 पुष्करदत्त एवं प्रतिवादी सं 2 राजाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़